अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



## न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, राँची

<u>सी0 सी0 ए0 वाद सं0 122/2023</u>

<u>09</u>
20.12.2023

राज्य,

बनाम

मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–राँची (झारखण्ड)

....... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 1289/डी०सी०बी० दिनांक 30.09.2023 द्वारा कुख्यात भू–माफिया/असामाजिक तत्व मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(1)(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. पिठौरिया थाना कांड सं० 29/22 दिनांक 15.02.2022 धारा–147/148/149/341/323/379/504/506 भा०द०वि०
2. पिठौरिया थाना कांड सं० 135/22 दिनांक 31.07.2022 धारा 467/468/471/406/384 भा०द०वि०
3. पिठौरिया थाना कांड सं० 79/20 दिनांक 16.07.2020 धारा–341/323/504/427/506 भा०द०वि०
4. पिठौरिया थाना सन्हा सं०–28/23 दिनांक–15.09.2023

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



5. पिठौरिया थाना सन्हा सं०–30/23 दिनांक–16.09.2023

6. पिठौरिया थाना सनहा सं०–29/23 दिनांक–17.09.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि पुलिस अधीक्षक मु० (प्रथम), राँची के कार्यालय का ज्ञापांक–1799 Y 2023, दिनाक 29.09.2023 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया गया है कि मो० ईसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढ़ी, थाना–पिठौरिया, जिला–राँची एक सक्रिय भू–माफिया एवं असमाजिक तत्व है, जो वर्तमान में जेल से बाहर है। हाल ही वे जमीन से जुड़े कामकाज में जुटकर स्वंय एवं अपने सहयोगियों की मदद से आम आदमी को परेशान कर रहे है, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो सकती है। इस प्रकार के कार्य से लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा असमाजिक तत्वों को बढ़वा मिलता है। इनके खौफ से इसके विरूद्ध लिखित या मौखिक रूप से बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होते है। इसकी गतिविधि संदिग्ध है, जिसके कारण लोक व्यवस्था अशांत होने की संभावना बनी रहती है विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी के अनुसार – झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अनुसार किसी असामजिक तत्व की गतिविधियों या कृत्यों से किसी व्यक्ति या सम्पति को नुकसान होने की संभवना हो या यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हो कि वह जिले या उसके किसी भी हिस्से में भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत दंडनीय किसी भी अपराध में शामिल है या शामिल होने वाला है तभी उक्त अधिनियम के आधार पर कार्रवाई किया जाना चाहिए, परन्तु पुलिस के द्वारा विपक्षी के खिलाफ ऐसा कोई भी आधार प्रतिवेदित नही किया गया है, जिसके आलोक मे विपक्षी के

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



खिलाफ झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई किया जा सके। माननीय उच्चतम् न्यायालय ने *Rahmant Khan @ Rammu Bismillah Versus Deputy Commissioner of Police* के मामले मे आयोजित किया है कि – *"that a drastic action of externment should only and only be taken against any of the person in exceptional cases to maintain law and order in a locality/or prevent breach of public tranquillity and peace. The Hon ble Court further held that "a person cannot be denied his fundamental right to reside anywhere in the country or to move freely throughout the country, on flimsy ground." The Hon ble Court also held "that solely on the basis of antecedent an order of externment cannot be passed against any person"* विपक्षी को किसी भी न्यायालय के द्वारा दोषी करार नही किया गया है। विपक्षी के खिलाफ दर्ज सनहा मे लगाये गये सारे आरोप गलत एवं बेबुनियाद है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक सक्रिय भू–माफिया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार हाल ही विपक्षी जमीन से जुडे कामकाज में जुटकर स्वंय एवं अपने सहयोगियों की मदद से आम आदमी को परेशान कर रहे है, जिससे लोक व्यवस्था छिन्न–भिन्न हो सकती है। उपरोक्त तथ्य विपक्षी के सक्रिय असमाजिक तत्व होने का द्योतक है। विपक्षी द्वारा अपने बचाव मे कोई ठोस आधार या सबूत पेश नही किया गया है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्निहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित भू–माफिया/असामाजिक तत्व मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–रॉची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

4

भू–माफिया/असामाजिक तत्व मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–रॉची को दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक की अवधि के लिए पिठौरिया थाना, राँची में प्रत्येक दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, पिठौरिया थाना के समक्ष रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 26.12.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 27.12.2023 से दिनांक 26.03.2024 तक प्रत्येक दिन पिठौरिया थाना, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा– 7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–रॉची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति मो० इसराईल अंसारी, पिता–स्व० अजीत अंसारी, निवासी ग्राम–नवाटोली, पो०–ईचापीढी, थाना–पिठौरिया, जिला–रॉची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.12.30 02:06:52 -08:00
Location: 192.168.1.4